न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 207 / 2020

अनवान : –

1. रामनिवास पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. बाबुलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 03/02/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 573 / 582 के ख0न0 271 की 4.3250 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए कब्जा काश्तक के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है। वाद भूमि का नजरी नक्शा सही तौर से 4.3250 हैक्ट का है तथा सम्वत 1964–65 के नक्शे को आधार मानकर नई पर्चा खतौनी में 4.3250 हैक्ट भूमि के स्थान पर 2.7830 हैक्ट भूमि कतई गलत तौर से दर्ज की गई है सम्वत 1964–65 के नजरी नक्शा ख0न0 271 में 1.518 हैक्ट भूमि कम होती है तो वादी भी वादी तरमीम करवा पाने का अधिकारी है अगर नई पर्चा खतौनी जारी होती है वादी को अपूर्णीय क्षति होगी

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 573 / 582 के ख0न0 271 की 4.3250 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.27 16:11:15 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश कर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकारा राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गया जिस पर पर जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 573/582 के ख0न0 271 की 4.3250 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी स0 1 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 बाबुलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट सा0 देईदास खातेदार– ख0न0 271 पश्चिम भाग– 2.1625 हैक्ट बारानी प्रथम

2 रामनिवास पुत्र रामचन्द्र जाति जाट सा0 देईदास खातेदार – ख0न0 271 पूर्वी भाग – 2.1625 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 03/02/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.27 16:11:15 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 207/2020

अनवान : –

1. रामनिवास पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. बाबुलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 207 सन 2020 निर्णय दिनांक 03/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 573/582 के ख0न0 271 की 4.3250 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी स0 1 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 बाबुलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट सा0 देईदास खातेदार– ख0न0 271 पश्चिम भाग– 2.1625 हैक्ट बारानी प्रथम

2 रामनिवास पुत्र रामचन्द्र जाति जाट सा0 देईदास खातेदार – ख0न0 271 पूर्वी भाग – 2.1625 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.27 16:11:15 IST
Reason: SelfAttested